न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 28 / 2020

अपीलांट–

1. जेहाराम पुत्र नाथाराम
2. पदमाराम पुत्र नाथाराम
3. वीरमाराम पुत्र नाथाराम
4. पैमाराम पुत्र हेमाराम
5. चैनाराम पुत्र हेमाराम

जाति जाट निवासी बजरंग नगर खूमे की बेरी (दूधू) तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 दलाराम पुत्र खेमाराम के कायम मुकाम
- 1.1 हडुमानराम पुत्र दलाराम
- 1.2 चनणीरदेवी पत्नी दलाराम
- 1.3 मीरादेवी पत्नी ऊर्जाराम
- 1.4 जूंजाराम पुत्र ऊर्जाराम
- 1.5 गोरखाराम पुत्र ऊर्जाराम

2 ताजाराम पुत्र खेताराम

3 भैराराम पुत्र ताजाराम

4 जयराम पुत्र ताजाराम
जति जाट निवासी बजरंग नगर खूमे की बेरी (दूधू) तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

5 तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 1479 दिनांक 31.12.2010 जो तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री भाखराराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री बलवंतसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 21.01.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 1479 दिनांक 31.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 1 से 4 के पैतृक खातेदारी के मूल खेत खसरा नंबर 1137 रकबा 94.16 बीघा बारानी सोयम मौजा बजरंग नगर एवं खसरा नंबर 1042 रकबा 0.06 बीघा गैर मुमकिन ढाणी

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

और खसरा नंबर 1043 रकबा 85.12 बीघा बारानी सोयम मौजा खूमे की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में आया हुआ है। ग्राम बजरंग नगर के खेत खसरा नंबर 1137 रकबा 94.16 बीघा एवं खुमे की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर के खेत खसरा नंबर 1042 एवं 1043 रकबा 85.18 बीघा के संयुक्त खातेदार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.12.2010 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1479 दिनांक 31.12.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.08.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 1479 दिनांक 31.12.2010 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलकर्ता अनपढ एवं विश्वास प्रकृति के व्यक्ति है जिन्होंने उतरदातागण संख्या 1 व 2 व उनके परिवार के सदस्यों पर विश्वास कर लिया परंतु उतरदातागण द्वारा नक्शा में गलत तरमीम करवाकर अपीलकर्तागण की रहवासी ढाणी एवं हिस्सा की उपजाऊ भूमि एवं खेड़ा व टांका कुआ की कब्जा काश्त भूमि उतरदातागण संख्या 1 व 2 ने अपने बंटवारा की भूमि में दर्शा दी एवं उतरदातागण संख्या 1 व 2 की मौका भूमि अपीलकर्तागण के नाम गलत बंटवारा दर्शा दिया। इस बंटवारे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 02 ग्राम बजरंग नगर एवं नामान्तरकरण संख्या 255 ग्राम खूमे की बेरी के पुस्त पर बिना मौके की जांच करवाए अपनी ईच्छानुसार पारित करवा दिया। इस स्थित में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

5. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया कि अपीलकर्तागण आज तक मौखिक रूप से एवं मौके पर काश्त–कब्जा एवं मौके पर निवास के अनुसार अपीलाधीन खेतान में रहवासी ढाणियां, चार बाडे, टांके, कुआ को अपनी खातेदारी में ही दर्ज होना समझते आ रहे थे, परंतु कुछ अर्सा 1 माह पूर्व उतरदाता संख्या 1 से 4 सभी मिलकर अपीलकर्तागण की ढाणी आए और अपीलकर्तागण को

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

धमकी दी कि उक्त ढाणियां, टांके, कुए आदि को खाली करके कब्जा छोड़कर चले जाओ क्योंकि उक्त भूमि हमने, हमारे नाम करवा ली है। तब हमने गांव के मुख्यान एवं पडोसियान को लाये और उतरदाता संख्या 1 से 4 को समझाया परंतु उतरदातागण नहीं माने तब अपीलकर्ता दिनांक 22.07.2020 को हल्का पटवारी के पास गया तो अपीलाधीन खेतान की जमाबंदी एवं नक्शा एवं दोनों गांवों के नामान्तरकरण की नकल मांगी तब हल्का पटवारी ने उसी दिन जमाबंदी एवं नक्शा तथा दोनों नामान्तरकरण की नकल देकर सर्व प्रथम दिनांक 22.07.2020 को गलत बंटवारा एवं उक्त गलत बंटवारा के आधार पर नामान्तरकरण एवं नक्शा में गलत तरमीम होने का ज्ञान करवाया तब दिनांक 28.07.2020 को अपीलकर्तागण तहसील गुडामालानी गए एवं उसी बंटवारा आदेश की नकल मांगी जो दिनांक 28.07.2020 को दी गई। तब यह अपील सर्वप्रथम ज्ञान होने की तिथि से यह अपील अंदर म्याद पेश की गई है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 05 अधिनियम में अपने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण ने पैतृक भूमि का आपसी राजीनामा तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष भौतिक कब्जा से बंटवाडा दिनांक 31.12.2010 को किया उसके बाद दोनों पक्षकारों ने भौतिक कब्जा विधि मान्य होने से विभाजन के अनुसार दिनांक 26.05.2011 को राजस्व दस्तावेजों में नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 26.05.2011 तथा नामान्तरकरण संख्या 255 के अंतर्गत दोनों पक्षों के राजस्व दस्तावेज अलग–अलग हो गए। इसलिए इन उपरोक्त कथनों का अपील कर्ता को भलीभांति ज्ञान होने के उपरांत भी विधि विरुद्ध 10 साल बाद देरी से अपील पेश की जो न्यायिक प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर यह अपील म्याद बाधित तथा म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। किंतु अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स ने अपनी अंतिम बहस में यह स्वीकार किया कि अपीलकर्तागण एंव उतरदातागण की मौका–कब्जा पर रहवासीय ढाणियां राजस्व रेकर्ड में एक–दूसरे के अंदर आ गई है, जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 1 से 4 के पैतृक खातेदारी के मूल खेत खसरा नंबर 1137 रकबा 94.16 बीघा बारानी सोयम मौजा बजरंग नगर एवं खसरा नंबर 1042 रकबा 0.06 बीघा गैर मुमकिन ढाणी और खसरा नंबर 1043 रकबा 85.12 बीघा बारानी सोयम मौजा खूमे की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में आया हुआ है। ग्राम बजरंग नगर के खेत खसरा नंबर 1137 रकबा 94.16 बीघा एवं खुमे की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर के खेत खसरा नंबर 1042 एवं 1043 रकबा 85.18 बीघा के संयुक्त खातेदार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.12.2010 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1479 दिनांक 31.12.2010 पारित किया गया। अपीलांट्स की अपील एवं रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अंतिम बहस में व्यक्त तथ्यों के अनुसार अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स व उतरदातागण 1 से 4 के मध्य पूर्व में हुए बाहामी बंटवाडे के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाडे आदि उतरदातागण के कब्जे में चले गए हैं। इस प्रकार तहसीलदार गुडामालानी द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। पक्षकारान के अधिवक्ताा ने जवाब व अपील का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त एवं हिस्सा रकबा अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1479 दिनांक 31.12.2010 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नौखड़ा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि तहसीलदार नौखड़ा स्वयं मौका पर उपस्थित रहकर मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

9. निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)